

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 214/2019

- 1 मनोहरी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 4 अमीरचन्द पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 5 कबीरचन्द पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

वादीगण

बनाम

- 1 कलावती पत्नी दलीप जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 2 अर्जनराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। कमा पुत्री काशीराम पत्नी पतराम जाति जाट निवासी पक्कासहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 तखु पुत्री काशीराम पत्नी छोगाराम जाति जाट निवासी पक्कासहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 नानू पुत्री काशीराम पत्नी हरफुल राम जाति जाट निवासी 82 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 5 दलीप पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 6 कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 7 मामराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 8 बृजलाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 9 पृथ्वीराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 10 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व, मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री अमित चावला वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित



*E. S. Singh*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर

किया जाता है कि- (1) चक 9 एस डी पी मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3 में 0.759 है, कि.न. 4 में 0.126 है, कि.न. 7/2 में 0.139 है, कि.न. 8 ता 10 में 0.759 है, कुल 1.783 है, नहरी आराजी का मामराज पुत्र काशीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(2) चक 9 एस डी पी मु.न. 15 कि.न. 5, 6 में 0.506 है, नहरी मय खाला, कि.न. 11 ता 13 में 0.759 है, कि.न. 14/2 में 0.190 है, कि.न. 15/2 में 0.190 है, नहरी मय खाला, कि.न. 16/2 में 0.151 है, नहरी मय खाला, कि.न. 17/2 में 0.228 है, कि.न. 18 ता 20 में 0.759 है, कि.न. 21 में 0.253 है, कुल 3.036 है, नहरी मय खाला आराजी में से दलीप पुत्र काशीराम को 2.446 है, व कलावती देवी पत्नी दलीप सिंह को 0.590 है, आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(3) चक 9 एस डी पी मु.न. 15 कि.न. 22 ता 24 में 0.759 है, कि.न. 25/2 में 0.126 है, नहरी मय खाला, मु.न. 22 कि.न. 1 ता 4 में 1.012 है, कि.न. 5/1 में 0.127 है, नहरी मय खाला कुल 2.024 है, नहरी मय खाला आराजी का पृथ्वीराज पुत्र काशीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(4) चक 9 एस डी पी मु.न. 22 कि.न. 6/1 में 0.063 है, कि.न. 6/2 में 0.038 है, नहरी 0.025 है, खाला, कि.न. 7 ता 14 में 2.024 है, कि.न. 15/2 में 0.101 है, कि.न. 16/2 में 0.139 है, कि.न. 17 ता 20 में 1.012 है, कि.न. 21 ता 24 में 1.012 है, कि.न. 25/2 में 0.114 है, कुल 4.528 है, नहरी मय खाला आराजी में से कृष्णलाल पुत्र काशीराम को 3.356 है, आराजी एव मनोहरी देवी पत्नी कृष्णलाल को 1.172 है, आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(5) चक 9 एस डी पी मु.न. 28 कि.न. 11/1 में 0.164 है, कि.न. 12 ता 18 में 1.771 है, कि.न. 19/1 में 0.164 है, कि.न. 20/1 में 0.164 है, कि.न. 21 में 0.253 है, कि.न. 22/1 में 0.164 है, कि.न. 23/1 में 0.164 है, कि.न. 24, 25 में 0.506 है, कुल 3.350 है, नहरी आराजी में से कबीरचन्द, अमीरचन्द पि० अर्जनराम को ब.हि.ब. 3.071 है, आराजी एव अर्जनराम पुत्र काशीराम को 0.279 है, आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(6) चक 11 एस डी पी मु.न. 16 कि.न. 1 ता 4 में 1.012 है, कि.न. 7 ता 10 में 1.012 है, कुल 2.024 है, नहरी आराजी का बृजलाल पुत्र काशीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(7) चक 11 एस डी पी मु.न. 16 कि.न. 5, 6 में 0.506 है, नहरी मय गे.मु. रास्ता खाला कुल 0.506 है, नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी का मामराज पुत्र काशीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादीगण एव प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.11.19 को जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव (आर.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहरे

